न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 49 / 2023

अनवान : –

1. सत्यनारायण पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. काशीराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
2. लाधुराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
3. दुर्गाराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
4. सीमा पत्नी रामकुमार नैण जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
5. मांगी लाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
6. रमेश नैण पुत्र रामकुमार नैण जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
7. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 04.08.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 18 / 17 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.7060 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 97 / 94 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.5790 है0 भूमि मृतक रामकुमार पुत्र काशीराम के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 108 / 104 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 4.6300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 126 / 121 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 4.8950 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 38 / 37 का कुल क्षेत्रफल 4.7060 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा निहित है। उपरोक्त भूमि को वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका मानते हुए मुताबिक कब्जा [illegible] के अनुसार [illegible] रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है जिसके अनुसार रातुसर के खसरा नं. 133 / 3 [illegible] 05[illegible]0, खसरा नं. 172 / 2 की 1.831 है0, खसरा नं. 48 / 3 की 0.6325 है0, [illegible] 48 / [illegible] 1.0625 है0 व ख[illegible]. 48 / 5 मीन की 0.1265 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि पर [illegible] काबिज है व खस[illegible] 43 / 3 की 2. 6820 है0 व खसरा नं. 48 / 5 की 2.024 है0 भूमि कुल तादादी 4.7060 है0 भूमि पर प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 काबिज है व खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, खसरा नं. 172/3 की 1.233 है0, खसरा नं. 172/2 की 0.598 है0, खसरा नं. 47/2 की 0.379 है0 व खसरा नं. 48/4 की 1. 4425 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, 172/3 की 1.8310 है0, 48/3 की 0.6325 है0 48/4 की 1.0625 है0 व 48/5 की 0.1265 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, 172/3 की 1.8310 है0, 48/3 की 0.759 है0, 48/4 की 1.0625 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि में से 1.050 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5, 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी के नाम के संबंध में तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की खाता संख्या 126 के खसरा न0 172/3 में वादी का नाम सीताराम पुत्र काशीराम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम सत्यनारायण पुत्र काशीराम है वादी का नाम सीताराम पुत्र काशीराम के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र काशीराम किया जाना उचित है वादी के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत श्योरानी द्वारा वादी के नाम को तस्दीक किया जाकर प्रमाण पत्र पेश किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा रातूसर सम्वत 2076–79 खाता स0 108/4, 38/37, 126/21, 18/17, 97/94 प्रदर्श 1 ता 5, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाण पत्र रामकुमार प्रदर्श–7, वारिसानाम प्रदर्श–8 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी के अधिवक्ता ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वादी एवं

प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा चाहते है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सीताराम पुत्र काशीराम है जबकि पहचान के अन्य सभी दस्तावेजों के अनुसार सत्यनारायण पुत्र काशीराम किया जावें। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 18/17 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.7060 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 97/94 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.5790 है0 भूमि मृतक रामकुमार पुत्र काशीराम के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 108/104 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 4.6300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 126/121 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 4.8950 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 38/37 का कुल क्षेत्रफल 4.7060 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वार्ड पंच वार्ड न0 7 ग्राम पंचायत श्योरानी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं तहसीलदार नोहर भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, खसरा नं. 172/2 की 1.831 है0, खसरा नं. 48/3 की 0.6325 है0, खसरा नं. 48/4 की 1.0625 है0 व खसरा नं. 48/5 मीन की 0.1265 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 43/3 की 2.6820 है0 व खसरा नं. 48/5 की 2.024 है0 भूमि कुल तादादी 4.7060 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, खसरा नं. 172/3 की 1.233 है0, खसरा नं. 172/3 की ... व खसरा नं. 47/2 की 0.379 है0 व खसरा नं. 48/4 की 1.4425 है0 कुल तादादी ... है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, 172/3 की 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:38:58 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

8310 है0, 48/3 की 0.6325 है0 48/4 की 1.0625 है0 व 48/5 की 0.1265 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, 172/3 की 1.8310 है0, 48/3 की 0.759 है0, 48/4 की 1.0625 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि में से 1.050 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 5, 6 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं वादी व प्रतिवादीगण का नाम मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4/8/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्ययालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 49/2023

अनवान : –

1. सत्यनारायण पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. काशीराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
2. लाधुराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
3. दुर्गाराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
4. सीमा पत्नी रामकुमार नैण जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
5. मांगी लाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
6. रमेश नैण पुत्र रामकुमार नैण जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
7. कृष्णा पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 49 सन 2023 निर्णय दिनांक 04.08.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, खसरा नं. 172/2 की 1.831 है0, खसरा नं. 48/3 की 0.6325 है0, खसरा नं. 48/4 की 1.0625 है0 व खसरा नं. 48/5 मीन की 0.1265 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 43/3 की 2.6820 है0 व खसरा नं. 48/5 की 2.024 है0 भूमि कुल तादादी 4.7060 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, खसरा नं. 172/3 की 1.233 है0, खसरा नं. 172/2 की 0.598 है0, खसरा नं. 47/2 की 0.379 है0 व खसरा नं. 48/4 की 1.4425 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, 172/3 की 1.8310 है0, 48/3 की 0.6325 है0 48/4 की 1.0625 है0, 48/5 की 0.1265 है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नं. 133/3 की 1.050 है0, 172/3 की 1.8310 है0, 48/3 की 0.759 है0, 48/4 की 1.0625

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

है0 कुल तादादी 4.7025 है0 भूमि में से 1.050 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 5, 6 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं वादी व प्रतिवादीगण का नाम मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/8/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested